

प्रेषक,

**मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,**  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- **उपाध्यक्ष,**  
विकास प्राधिकरण,  
मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन,  
बांदा, झांसी, रायबरेली, उन्नाव-शुक्लागंज, बुलन्दशहर  
खुर्जा तथा बस्ती।
- 2- **अध्यक्ष,**  
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
मिर्जापुर-विन्ध्यांचल, चित्रकूट तथा  
कपिलवस्तु-सिद्धार्थनगर।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5**

**लखनऊ : दिनांक : 24-फरवरी, 2022**

**विषय:- प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 अंगीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-417/आठ-5-18-10विविध/12, दिनांक 25.05.2018 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या-1226/आठ-5-18-10विविध/12, दिनांक 23.07.2018, पत्र संख्या-101(1)/आठ-5-19-10विविध/12, दिनांक 23.01.2019, समसंख्यक पत्र अनुस्मारक पत्र दिनांक 08.04.2019, पत्र संख्या-238/आठ-5-19-10 विविध/12, दिनांक 23.07.2019 एवं पत्र संख्या-592/आठ-5-22-10विविध/12, दिनांक 28.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में निहित वित्तीय उपाशय का आकलन करते हुए तथा वर्तमान में प्राधिकरण स्तर पर इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी परन्तु वांछित सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्रों द्वारा वांछित सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय  


**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**

अनु सचिव।